Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 165–2020/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020 (KARTIKA 13, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 4th November, 2020

No. 40-HLA of 2020/90/16881.— The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 40-HLA of 2020

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2020. Short title.

2. For section 9 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 9 of Haryana Act 11 of 1994.

"9. Reservation and equal representation in Gram Panchayat.- (1) All wards in a Gram Panchayat and all Gram Panchayats in a block shall for the purpose of this section be sequentially numbered in such manner, as may be prescribed:

Provided that for such sequential numbering, the wards or Gram Panchayats reserved for the Scheduled Castes shall be considered as one group and the remaining wards or Gram Panchayats as another group.

(2) The offices of panch in every Gram Panchayat shall be reserved for the Scheduled Castes in such a way that the number of seats reserved for the Scheduled Castes shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Gram Panchayat as the population of the Scheduled Castes to the total population in that Gram Sabha area and such seats shall be allotted to such wards having maximum percentage of population belonging to the Scheduled Castes.

(3) To ensure equal representation, a woman who is otherwise qualified to be elected, may contest from such ward of a Gram Panchayat that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than woman, who is otherwise qualified to be elected, may contest from such ward of a Gram Panchayat that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) in any general election and vice versa in the next general election:

Provided that if in any Gram Panchayat there is only one ward reserved for the Scheduled Castes, then a woman who is otherwise qualified to be elected and belonging to the Scheduled Castes shall be allowed to contest from such ward.

(4) Every Panchayat shall have one panch belonging to Backward Classes if its population is two percent or more of the total population of the sabha area and such seat shall be allotted to such ward having maximum percentage of population of persons belonging to Backward Classes.

Explanation.- In case the same ward of a Gram Panchayat is eligible for reservation of Scheduled Castes and Backward Classes, preference shall be given to Scheduled Castes and the next eligible ward of Gram Panchayat shall be reserved for the Backward Class.

(5) The offices of Sarpanch of Gram Panchayats in a block shall be reserved for the Scheduled Castes and the number of offices reserved shall bear the same proportion to the total number of offices of Sarpanches in the block, as the population of Scheduled Castes in the block bears to the total population of that block and such seats shall be rotated to different Gram Panchayats, firstly having the largest maximum percentage population of Scheduled Castes and secondly having the next largest maximum percentage population of Scheduled Castes and so on until the last eligible Gram Panchayat is reserved and thereafter the cycle shall start again:

Provided that the office of the Sarpanch shall be reserved for Scheduled Castes only if the population of Scheduled Castes in that Gram Panchayat is more than ten percent of the total population.

(6) To ensure equal representation, a woman who is otherwise qualified to be elected, may contest from such a Gram Panchayat that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than woman, who is otherwise qualified to be elected, may contest from such a Gram Panchayat that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) for the office of Sarpanch in any general elections and vice versa in the next general elections.

(7) Eight percent of the total number of offices of Sarpanch in a block and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more shall be reserved through draw of lots for Backward Classes (A) and such seats shall be rotated amongst Gram Panchayats in every succeeding general election:

Provided that in case any Gram Panchayat is reserved through draw of lots but has no member in Gram Sabha belonging to Backward Classes (A) otherwise qualified to be elected as Sarpanch, then for replacing such Gram Panchayat, the draw of lots shall be held amongst the remaining unreserved Gram Panchayats.

(8) The number of wards shall be re-fixed after every decennial census in such manner, as may be prescribed.".

Substitution of section 10 of Haryana Act 11 of 1994.

3. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

"10. Term of office.- (1) The term of office of Sarpanch shall be five years unless removed otherwise.

(2) A Sarpanch may be removed from his office by an order of such authority, as may be prescribed consequent to a resolution passed, by not less than two-third voters of the members of the Gram Sabha present and voting cast through a secret ballot, on a date and time duration specified by such authority:

Provided that no such ballot shall be held unless a requisition in this behalf is made to the prescribed authority by not less than one-half of the total members of the Gram Sabha.

(3) On the requisition made under sub-section (2), the authority as specified in sub-section (2) shall after inquiring into the genuineness thereof, notify the date and time duration for the purpose of the secret ballot of the Gram Sabha within a period of thirty days from the date of receipt of the requisition:

Provided that no such process shall be initiated within a period of one year from the date of election of the Sarpanch and any subsequent resolution for removal shall not be maintainable within the interval of one year of the last ballot of the Gram Sabha to consider a resolution for removal of the Sarpanch.".

4. For section 59 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 59 of Haryana Act 11 of 1994.

"59. Reservation and equal representation.- (1) All wards in a Panchayat Samiti and all Panchayats Samitis in the State shall for the purpose of this section be sequentially numbered in such manner, as may be prescribed:

Provided that for such sequential numbering, the wards and Panchayat Samitis reserved for the Scheduled Castes shall be considered as one group and the remaining wards and Panchayat Samitis as another group.

(2) The offices of member in every Panchayat Samiti shall be reserved for the Scheduled Castes in such a way that the number of seats reserved for Scheduled Castes shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Panchayat Samiti as the population of the Scheduled Castes to the total population in that Panchayat Samiti area and such seats shall be allotted to such wards having maximum percentage of population belonging to the Scheduled Castes.

(3) To ensure equal representation, a woman who is otherwise qualified to be elected, may contest from such ward of a Panchayat Samiti that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than woman, who is otherwise qualified to be elected, may contest from such ward of a Panchayat Samiti that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) in any general election and vice versa in the next general election:

Provided that if in any Panchayat Samiti there is only one ward reserved for the Scheduled Castes, then a woman who is otherwise qualified to be elected and belonging to the Scheduled Castes shall be allowed to contest from such ward.

(4) Eight percent of the total number of offices of members in a Panchayat Samiti and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more, shall be reserved through draw of lots for Backward Classes (A) subject to the condition that the total number of such offices reserved shall not be less than two and such seats shall be rotated amongst different wards in every succeeding general election.

(5) The offices of Chairman of Panchayat Samitis in a State shall be reserved for Scheduled Castes and the number of offices reserved shall bear the same proportion to the total number of offices of Chairman in the State, as the population of Scheduled Castes in the State bears to the total population of the State and such seats shall be rotated to different Panchayat Samitis in the State, firstly having the largest maximum percentage of population of Scheduled Castes and secondly having the next largest maximum percentage of population of Scheduled Castes and so on until the last eligible Panchayat Samiti is reserved and thereafter the cycle shall start again:

Provided that the office of the Chairman in a Panchayat Samiti shall be reserved for Scheduled Castes only if the population of Scheduled Castes in that Panchayat Samiti is more than ten percent of the total population.

(6) To ensure equal representation, a woman who is otherwise qualified to be elected, may contest from such a Panchayat Samiti that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than woman, who is otherwise qualified to be elected, may contest from such Panchayat Samiti that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) for the office of Chairman in any general election and vice versa in the next general election.

(7) The number of wards shall be re-fixed after every decennial census in such manner, as may be prescribed.".

Insertion of section 62A in Haryana Act 11 of 1994.

5. After section 62 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"62A. Term of office of members.- (1) The term of office of member Panchayat Samiti shall be five years unless removed otherwise.

(2) A member of the Panchayat Samiti may be removed from his office by an order of authority, as may be prescribed consequent to a resolution passed, by not less than two-third voters of the concerned ward present and voting cast through a secret ballot, on a date and time duration specified by such authority:

Provided that no such ballot shall be held unless a requisition in this behalf is made to the prescribed authority by not less than one-half of the total voters of the concerned ward.

(3) On the requisition made under sub-section (2), the authority as specified in sub-section (2) shall after inquiring into the genuineness thereof, notify the date and time duration for the purpose of the secret ballot of the concerned ward within a period of thirty days from the date of receipt of the requisition:

Provided that no such process shall be initiated within a period of one year from the date of election of the member and any subsequent resolution for removal shall not be maintainable within the interval of one year of the last ballot of the concerned ward to consider a resolution for removal of that member of the Panchayat Samiti.".

Substitution of section 120 of Haryana Act 11 of 1994.

6. For section 120 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"120. Reservation and equal representation.- (1) All wards in a Zila Parishad and all Zila Parishads in the State shall for the purpose of this section be sequentially numbered in such manner, as may be prescribed:

Provided that for such sequential numbering, the wards of Zila Parishad reserved for the Scheduled Castes shall be considered as one group and the remaining wards of Zila Parishad as another group.

(2) The offices of member in every Zila Parishad shall be reserved for the Scheduled Castes in such a way that the number of seats reserved for Scheduled Castes shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in that Zila Parishad as the population of the Scheduled Castes to the total population in that Zila Parishad area and such seats shall be allotted to such wards having maximum percentage of population belonging to Scheduled Castes.

(3) To ensure equal representation, a woman who is otherwise qualified to be elected, may contest from such ward of a Zila Parishad that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than woman, who is otherwise qualified to be elected, may contest from such ward of a Zila Parishad that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) in any general election and vice versa in the next general election:

Provided that if in any Zila Parishad there is only one ward reserved for the Scheduled Castes, then a woman who is otherwise qualified to be elected and belonging to the Scheduled Castes, shall be allowed to contest from such ward.

(4) Eight percent of the total number of offices of members in a Zila Parishad and rounded off to the next higher integer in case the decimal value is 0.5 or more, shall be reserved through draw of lots for Backward Classes (A) subject to the condition that the total number of such offices reserved shall not be less than two and such seats shall be rotated amongst different wards in every succeeding general election.

(5) The offices of President of Zila Parishads in the State shall be reserved for Scheduled Castes and the number of offices reserved shall bear the same proportion to the total number of offices of President in the State, as the population of Scheduled Castes in the State bears to the total population of that State and such seats shall be rotated to different Zila Parishads, firstly having the largest maximum percentage of population of Scheduled Castes and secondly having the next largest maximum percentage of population of Scheduled Castes and so on until the last eligible Zila Parishad is reserved and thereafter the cycle shall start again:

Provided that the office of the President in a Zila Parishad shall be reserved for Scheduled Castes only if the population of Scheduled Castes in that Zila Parishad is more than ten percent of the total population.

(6) To ensure equal representation, a woman who is otherwise qualified to be elected, may contest from such ward of a Zila Parishad that receives an even number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) and a person other than woman, who is otherwise qualified to be elected, may contest from such ward of a Zila Parishad that receives an odd number in the sequential numbering arrived at for that group under sub-section (1) in any general election and vice versa in the next general election.

(7) The number of wards shall be re-fixed after every decennial census in such manner, as may be prescribed.".

Insertion of section 123A in Haryana Act 11 of 1994.

7. After section 123 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"123A. Term of office of members.- (1) The term of office of member Zila Parishad shall be five years unless removed otherwise.

(2) A member of the Zila Parishad may be removed from his office by an order of such authority, as may be prescribed consequent to a resolution passed, by not less than two-third voters of the concerned ward present and voting cast through a secret ballot, on a date and time duration specified by such authority:

Provided that no such ballot shall be held unless a requisition in this behalf is made to the prescribed authority by not less than one-half of the total voters of the concerned ward.

(3) On the requisition made under sub-section (2), the authority specified in sub-section (2) shall after inquiring into the genuineness thereof, notify the date and time duration for the purpose of the secret ballot of the concerned ward within a period of thirty days from the date of receipt of the requisition:

Provided that no such process shall be initiated within a period of one year from the date of election of the member and any subsequent resolution for removal shall not be maintainable within the interval of one year of the last ballot of the concerned ward to consider a resolution for removal of that member of the Zila Parishad.".

Savings.

8. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, any vacancy arising after the commencement of the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2020 but before the first general elections to the Panchayati Raj Institutions to be held after the commencement of the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2020 shall be filled up in accordance with the law in force prior to commencement of the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2020.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the provisions regarding removal of Sarpanch, member of Panchayat Samiti and Zila Parishad as provided in the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2020 shall be applicable after the first general elections to the Panchayati Raj Institutions to be held after the commencement of the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2020.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This amendment has been proposed to give effect to the constitutional provisions and to enhance participation of women in all three tiers of Panchayati Raj Institutions while ensuring adequate and equal representation in respect of gender in the Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads.

This amendment is also seeks to provide reservation for the Backward Classes belonging to the 'A' category for the post of Sarpanches and members of Panchayat Samiti and Zila Parishad. This progressive change will help in empowerment and uplift the more disadvantaged amongst the Backward Classes.

The amendment also introduces a provision for recall of an elected Sarpanch, members of Panchayat Samiti and Zila Parishad increasing their accountability to their electorate. The intent of the provision is to enhance democratic accountability of the governing in Panchayati Raj Institutions towards the governed.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 4th November, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 40 एच.एल.ए.

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 9 का प्रतिस्थापन।

"9. ग्राम पंचायत में आरक्षण तथा समान प्रतिनिधित्व.—(1) किसी ग्राम पंचायत में सभी वार्डों तथा किसी खण्ड में सभी ग्राम पंचायतों को इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुक्रम में क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु ऐसे अनुक्रमिक क्रमांकन के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों या ग्राम पंचायतों को एक ग्रुप के रूप में तथा शेष वार्डों या ग्राम पंचायतों को दूसरे ग्रुप के रूप में समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पद, ऐसे ढंग में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, उस ग्राम सभा क्षेत्र में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के रूप में उस ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी तथा ऐसे स्थान, अनुसूचित जातियों से संबंधित जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्डों को आबंटित किए जाएंगे।

(3) समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, कोई महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, किसी ग्राम पंचायत के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ सकती है जो उप—धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न कोई व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, किसी ग्राम पंचायत के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, जो किसी आम निर्वाचन में उप—धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है तथा आगामी सामान्य निर्वाचन में विपर्ययेनः

परन्तु यदि किसी ग्राम पंचायत में, जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक ही वार्ड आरक्षित है, तो केवल महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है और अनुसूचित जाति से संबंधित है, को ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) प्रत्येक पंचायत में पिछड़े वर्गों से संबंधित एक पंच होगा, यदि इसकी जनसंख्या, सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के दो प्रतिशत अथवा से अधिक है और ऐसा स्थान, पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्ड को आबंटित किया जाएगा।

व्याख्या.— यदि किसी ग्राम पंचायत का एक ही वार्ड, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए वांछनीय है, तो अधिमान अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा और ग्राम पंचायत का आगामी वांछनीय वार्ड पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होगा।

(5) किसी खण्ड में ग्राम पंचायतों के सरपंचों के पदों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा और आरक्षित पदों की संख्या, उस खण्ड की कुल जनसंख्या में खण्ड में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार खण्ड में सरपंचों के पदों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में होगी और ऐसे स्थान, प्रथमतः अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली और दूसरी बार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की आगामी सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली भिन्न—भिन्न ग्राम पंचायतों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे और इसी प्रकार जब तक अंतिम वांछनीय ग्राम पंचायत आरक्षित नहीं की जाती है और उसके बाद क्रम दुबारा से आरम्भ होगाः

परन्तु सरपंच का पद, अनुसूचित जातियों के लिए केवल तभी आरक्षित होगा, यदि उस ग्राम पचांयत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से अधिक है।

(6) समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, ऐसी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ सकती है, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न कोई व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, ऐसी किसी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ सकता है, जो किसी आम निर्वाचन में सरपंच के पद के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है और आगामी सामान्य निर्वाचन में विपर्ययेन।

(7) किसी खण्ड में सरपंच के कुल पदों की संख्या का आठ प्रतिशत तथा आगामी उच्चतर पूर्णांक का पूर्णांकित, यदि दशमलव मूल्य 0.5 अथवा उससे अधिक है, पिछड़े वर्ग (क) के लिए ड्रॅा आफ लॉटस के माध्यम से आरक्षित होगी और ऐसे स्थान, प्रत्येक उत्तरवर्ती आम निर्वाचन में ग्राम पंचायतों के लिए चक्रानुक्रम में होंगेः

परन्तु यदि कोई ग्राम पंचायत ड्रॅा आफ लॉटस के माध्यम से आरक्षित की गई है किन्तु पिछड़े वर्ग (क) से सम्बंधित ग्राम सभा में सरपंच के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा से योग्य कोई सदस्य नहीं है, तो ऐसी ग्राम पंचायत के प्रतिस्थापन हेतु, शेष अनारक्षित पंचायतों के लिए ड्रॅा आफ लॉटस से किया जायेगा।

(8) वार्डों की संख्या प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के बाद ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में पुनः नियत की जाएगी।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 10 का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"10.पदावधि.– (1) सरपंच की पदावधि, जब तक अन्यथा से हटाया नहीं जाता है, पाँच वर्ष होगी।

(2) विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तथा समयावधि पर ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों के गुप्त मतदान के माध्यम से किए गए मतों के कम से कम दो तिहाई मतों द्वारा पारित संकल्प के परिणामस्वरूप ऐसे प्राधिकारी के आदेश द्वारा किसी सरपंच को उसके पद से हटाया जा सकता हैः

परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी मतदान तब तक नहीं करवाया जाएगा जब तक ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा इस निमित्त माँग नहीं की जाती है।

(3) उप–धारा (2) के अधीन की गई माँग पर, उप–धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उसकी यथार्थता की जांच करने के बाद, माँग प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर ग्राम सभा के गुप्त मतदान के प्रयोजन के लिए तिथि तथा समयावधि अधिसूचित करेगाः

परन्तु कोई भी ऐसी प्रक्रिया, सरपंच के चुनाव की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रारम्भ नहीं की जाएगी और हटाने के लिए कोई पश्चात्वर्ती प्रस्ताव, सरपंच को हटाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु ग्राम सभा के अन्तिम मतदान के एक वर्ष के मध्यांतर में नहीं लाया जाएगा।''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 59 का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 59 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"59. आरक्षण तथा समान प्रतिनिधित्व.–(1) पंचायत समिति के सभी वार्डों और राज्य में सभी पंचायत समितियों को इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुक्रम में क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु ऐसे अनुक्रमिक क्रमांकन के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों तथा पंचायत समितियों को एक ग्रुप के रूप में तथा शेष वार्डों तथा पंचायत समितियों को दूसरे ग्रुप के रूप में समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य के पद, ऐसे ढंग में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, उस पंचायत समिति के क्षेत्र में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के रूप में उस पंचायत समिति में स्थानों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी तथा ऐसे स्थान, अनुसूचित जातियों से संबंधित जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्डों को आबंटित किए जाएंगे।

(3) समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, कोई महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, पंचायत समिति के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ सकती है, जो उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न कोई व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, पंचायत समिति के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, जो किसी आम निर्वाचन में उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है और आगामी सामान्य निर्वाचन में विपर्ययेनः

परन्तु यदि किसी पंचायत समिति में, जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक ही वार्ड आरक्षित है, तो केवल महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है और अनुसूचित जन–जातियों से संबंधित है, को ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) किसी पंचायत समिति में सदस्यों के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत तथा आगामी उच्चतर पूर्णांक का पूर्णांकित, यदि दशमलव मूल्य 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो इस शर्त के अध्यधीन पिछड़े वर्ग (क) के लिए ड्रॉ ऑफ लॉटस के माध्यम से आरक्षित होगा कि ऐसे आरक्षित पदों की कुल संख्या दो से कम नहीं होगी और ऐसे स्थान, प्रत्येक उत्तरवर्ती आम निर्वाचन में भिन्न–भिन्न वार्डों क लिए चक्रानुक्रम में होंगे ।

(5) राज्य में पंचायत समितियों के अध्यक्ष के पदों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा और आरक्षित पदों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार राज्य में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में होगी और ऐसे स्थान, प्रथमतः अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली और दूसरी बार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की आगामी सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली भिन्न–भिन्न पंचायत समितियों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे और इसी प्रकार जब तक अंतिम वांछनीय पंचायत समिति आरक्षित नहीं की जाती है और उसके बाद क्रम दुबारा से आरम्भ होगाः

परन्तु किसी पंचायत समिति में अध्यक्ष का पद, अनुसूचित जातियों के लिए केवल तभी आरक्षित होगा, यदि उस पचांयत समिति में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से अधिक है।

(6) समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, ऐसी किसी पंचायत समिति से चुनाव लड़ सकती है, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न कोई व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, ऐसी किसी पंचायत समिति से चुनाव लड़ सकता है, जो किसी आम निर्वाचन में अध्यक्ष के पद के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है और आगामी सामान्य निर्वाचन में विपर्ययेन।

(7) वार्डों की संख्या प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के बाद ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में पुनः नियत की जाएगी।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 62 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 में धारा 62क का रखा जाना।

''62क सदस्यों की पदावधि.–(1) पंचायत समिति के सदस्यों की पदावधि, जब तक अन्यथा हटाया नहीं जाता है, पांच वर्ष होगी ।

(2) विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तथा समयावधि पर सम्बद्ध वार्ड के उपस्थित सदस्यों के गुप्त मतदान के माध्यम से किए गए मतों के कम से कम दो तिहाई मतों द्वारा पारित संकल्प के परिणामस्वरूप ऐसे प्राधिकारी के आदेश द्वारा पंचायत समिति के किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है :

परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी मतदान तब तक नहीं करवाया जाएगा जब तक सम्बद्ध वार्ड के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा इस निमित्त माँग नहीं की जाती है।

(3) उप–धारा (2) के अधीन की गई माँग पर, उप–धारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उसकी यथार्थता की जांच करने के बाद, माँग प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्बद्ध वार्ड के गुप्त मतदान के प्रयोजन के लिए तिथि तथा समयावधि अधिसूचित करेगा :

परन्तु कोई भी ऐसी प्रक्रिया, सदस्य के चुनाव की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रारम्भ नहीं की जाएगी और हटाने के लिए कोई किसी पश्चात्वर्ती प्रस्ताव, उस पंचायत समिति के सदस्य को हटाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु सम्बद्ध वार्ड के अन्तिम मतदान के एक वर्ष के मध्यांतर में नहीं लाया जाएगा।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 120 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :– 1994 के हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 120 का प्रतिस्थापन।

"120. आरक्षण तथा समान प्रतिनिधित्व.–(1) जिला परिषद् के सभी वार्डों और राज्य की सभी जिला परिषदों को इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुक्रम में क्रमांकित किया जाएगा :

परन्तु ऐसे अनुक्रमिक क्रमांकन के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित जिला परिषद् के वार्डों को एक ग्रुप के रूप में तथा जिला परिषद् के शेष वार्डों को दूसरे ग्रुप के रूप में समझा जाएगा।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् में सदस्य के पद, ऐसे ढंग में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, उस जिला परिषद् के क्षेत्र में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के रूप में उस जिला परिषद् में स्थानों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में यथाशक्य निकटतम होगी तथा ऐसे स्थान, अनुसूचित जातियों से संबंधित जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले ऐसे वार्डों को आबंटित किए जाएंगे।

(3) समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु, कोई महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल जिला परिषद् के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ सकती है, जो उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न कोई व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, को केवल जिला परिषद् के ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, जो किसी आम निर्वाचन में उप–धारा (1) के अधीन उस ग्रुप के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है और आगामी आम निर्वाचन में विपर्ययेनः

परन्तु यदि किसी जिला परिषद् में, जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक ही वार्ड आरक्षित है, तो केवल महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है और अनुसूचित जन–जातियों से संबंधित है, को ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) किसी जिला परिषद् में सदस्यों के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत तथा आगामी उच्चतर पूर्णांक का पूर्णांकित, यदि दशमलव मूल्य 0.5 अथवा उससे अधिक है, तो इस शर्त के अध्यधीन पिछड़े वर्ग (क) के लिए ड्रॉ ऑफ लॉटस के माध्यम से आरक्षित होगा कि ऐसे आरक्षित पदों की कुल संख्या दो से कम नहीं होगी और ऐसे स्थान, प्रत्येक उत्तरवर्ती सामान्य निर्वाचन में भिन्न–भिन्न वार्डों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे;

(5) राज्य में जिला परिषदों के प्रधान के पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे और आरक्षित पदों की संख्या, राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुसार राज्य में प्रधान के पदों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में होगी और ऐसे स्थान, प्रथमतः अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली और दूसरी बार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की आगामी सबसे बड़ी अधिकतम प्रतिशतता रखने वाली भिन्न–भिन्न जिला परिषदों के लिए चक्रानुक्रम में होंगे और इसी प्रकार जब तक अंतिम वांछनीय जिला परिषद् आरक्षित नहीं की जाती है और उसके बाद क्रम दुबारा से आरम्भ होगा :

परन्तु किसी जिला परिषद् में अध्यक्ष का पद, अनुसूचित जातियों के लिए केवल तभी आरक्षित होगा, यदि उस जिला परिषद् में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के दस प्रतिशत से अधिक है।

(6) समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु कोई महिला, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, ऐसी किसी जिला परिषद् से चुनाव लड़ सकती है, जो अनुक्रमिक क्रमांकन में सम संख्या प्राप्त करती है तथा महिला से भिन्न कोई व्यक्ति, जो अन्यथा से निर्वाचित किए जाने के लिए योग्य है, ऐसी किसी जिला परिषद् से चुनाव लड़ सकता है, जो किसी आम निर्वाचन में प्रधान के पद के लिए अनुक्रमिक क्रमांकन में विषम संख्या प्राप्त करती है और आगामी सामान्य निर्वाचन में विपर्ययेन।

(7) वार्डों की संख्या प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के बाद ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में पुनः नियत की जाएगी।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 11 में धारा 123क का रखा जाना ।

7. मूल अधिनियम की धारा 123 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

"123क. सदस्यों की पदावधि.–(1) जिला परिषद् के सदस्यों की पदावधि, जब तक अन्यथा हटाया नहीं जाता है, पांच वर्ष होगी ।

(2) विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तथा समयावधि पर सम्बद्ध वार्ड के उपस्थित सदस्यों के गुप्त मतदान के माध्यम से किए गए मतों के कम से कम दो तिहाई मतों द्वारा पारित संकल्प के परिणामस्वरूप ऐसे प्राधिकारी के आदेश द्वारा जिला परिषद के किसी सदस्य को उसके पद से हटाया जा सकता है :

परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी मतदान तब तक नहीं करवाया जाएगा जब तक सम्बद्ध वार्ड के कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा इस निमित्त माँग नहीं की जाती है।

(3) उप–धारा (2) के अधीन की गई माँग पर, उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उसकी यथार्थता की जांच करने के बाद, माँग प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्बद्ध वार्ड के गुप्त मतदान के प्रयोजन के लिए तिथि तथा समयावधि अधिसूचित करेगा :

परन्तु कोई भी ऐसी प्रक्रिया, सदस्य के चुनाव की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रारम्भ नहीं की जाएगी और हटाने के लिए कोई किसी पश्चात्वर्ती प्रस्ताव, उस जिला परिषद् के सदस्य को हटाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार करने हेतु सम्बद्ध वार्ड के अन्तिम मतदान के एक वर्ष के मध्यांतर में नहीं लाया जाएगा।''।

8. (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ के बाद, किन्तु हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम आम निर्वाचन आयोजित किए जाने से पूर्व उत्पन्न होने वाली किसी रिक्ति को हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ से पूर्व लागू विधि के अनुसार भरा जाएगा । व्यावृत्ति।

(2) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 में यथा उपबंधित सरपंच को हटाने के सम्बंध में उपबंध, हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम आम निर्वाचन आयोजित किए जाने के बाद लागू होंगे ।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

यह संशोधन सवैंधानिक प्रावधानों को अमल में लाने तथा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में लिंग के सम्बन्ध में पर्याप्त और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों में महिलाओं की भागेदारी बढ़ाने के लिए प्रस्तावित है ।

यह संशोधन संरपचों तथा पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के पद के लिए 'क' श्रेणी से सम्बन्धित पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करना भी प्रस्तावित करता है। यह प्रगतिशील परिवर्तन पिछड़े वर्गों में अधिक वंचितों के सशक्तिकरण तथा उत्थान में मदद करेगा।

यह संशोधन किसी निर्वाचित सरपंच, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों की अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के लिए वापिस बुलाने के उपबन्ध का प्रावधान करता है इस प्रावधान का आशय पंचायती राज संस्थाओं में शासितों के प्रति शासन की लोकतान्त्रिक जवाबदेही को बढ़ाना है।

दुष्यंत चौटाला,
उप–मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 नवम्बर, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

8960—H.V.S.—H.G.P. Pkl.